भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4667

21 अगस्त, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्रावधान

†4667. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य के लिए स्वीकृत आवासों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या महाराष्ट्र सहित देशभर के जनजातीय क्षेत्रों के निवासियों के लिए उक्त योजना के अंतर्गत कोई विशेष प्रावधान है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग) 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, अपने नागरिकों के लिए आवास संबंधी योजनाओं का क्रियान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा किया जाता है। हालाँकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत देश भर के पात्र शहरी लाभार्थियो को पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता प्रदान कर रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत महाराष्ट्र के लिए 1,49,594 आवास स्वीकृत किए गए हैं।

पीएमएवाई-यू के अंतर्गत हाथ से मैला ढोने वालों, महिलाओं (विधवाओं को विशेष वरीयता देते हुए), अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों, दिव्यांग व्यक्तियों और ट्रांसजेंडरों को वरीयता दी गई थी।

इसके अतिरिक्त, पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन से प्राप्त 9 वर्षों के अनुभव और सीख के आधार पर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और देश भर में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र शहरी लाभार्थियों को चार घटकों अर्थात् लाभार्थी-आधारित निर्माण

(बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से सहायता देने के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है। पीएमएवाई-यू 2.0 के योजना-दिशानिर्देश **https://pmayurban.gov.in** पर देखे जा सकते हैं।

पीएमएवाई-यू 2.0 के योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, इस योजना के तहत विधवाओं, एकल महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडरों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य कमजोर और असुरक्षित वर्गों के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है। सफाई कर्मियों, पीएम स्वनिधि योजना के तहत चिन्हित किए गए पथ विक्रेताओं और पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत विभिन्न कारीगरों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों, स्लम/चॉल निवासियों और पीएमएवाई-यू 2.0 के संचालन के दौरान चिन्हित किए गए अन्य समूहों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

*****